

01/11/25
2025/626

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/

दिनांक 2025

उगवानी प्रकरण - महवीरपुरा बनाम भूमिधारी तहसीलदार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट, 1956
मुक्तगा संख्या - 269/2025

-: दुरुस्ती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश :-

उपर्युक्त विषयसंबंधी लेख है कि तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक
19/भू.अ./2025 दिनांक 04/10/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा -136 के अन्तर्गत गिजवाये गये राजस्व ग्राम श्रीमाधोपुर पटवारि हल्का हल्का
तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में मुझे खता संख्या 22,135 में खातेदार महवीरपुरा
एव महवीरपुरा पुत्र उपखण्ड स्थान पर महवीरपुरा पुत्र उपखण्ड का
नाम दुरुस्त किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का हल्का
उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस
कार्यालय को गिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/

दिनांक 2025

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एव पालनार्थ:-

1. तहसीलदार श्रीमाधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।
2. पटवारी हल्का हल्का तहसील श्रीमाधोपुर को पालनार्थ।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

0.11.14
2025/626

"प्रशासन गांवों के संघ अभियान:- 2023"

प्रतिवेदन पटवारी हल्का - हाथी देह

बीमान जी, राजस शत्रु दौलतपुरा के 2 के खान सं. 72, 125
के अर्ज का नाम महावीरदास पि० जयशमदास एवं अमरी सिंह
पि० जयशमदास को कौन साकी इतक है अर्जि अर्जि ने अमरी उपाड
पि० जयशमदास को नाम खान के नाम से दस्तावेज बना किये हैं
किसी जयशमदास के अर्जि खान सं. 72, 125 के अर्जि का
नाम महावीरदास पि० जयशमदास एवं अमरी सिंह पि० जयशमदास
के खान पर महावीर उपाड पि० जयशमदास उक्त किफा की
उत्तर है

हस्ताक्षर पटवारी
05.10.25
व.ए.ए. की 58

जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:-

जांच की मुताबिक रिपोर्ट पटवारी एवं
मुताबिक खान कागजात शुद्धि किया जाता
उचित है
जब 31/10/25
RPR हाथी देह

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

GSS/इमांड/19
4.10.25

मुताबिक टल्का पटवारी रिपोर्ट एवं RPR की जांच के
पश्चात शुद्धि की अभिलेखा की जाती है

हस्ताक्षर तहसीलदार
श्रीमाधोपुर (सीकर)

269
10-10-25

आदेश (शिविर स्थान:- , दिनांक:-)

पटवारी टल्का हाथी देह व सु (अभि वृत्त, हाडली) की जांच
रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिलेखा रिपोर्ट के
अनुसार पर राजस दौलतपुरा के खान सं. 72, 125 में
महावीरदास, महावीर प्रसाद पुत्र जयशमदास के खान पर
महावीर प्रसाद पुत्र जयशमदास उरस्त किये जाने की
स्वीकृति दी जाती है

उपरखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)